न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 57 / 2021

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. अशोक कुमार पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी जूना केराडू मार्ग बाड़मेर (मैसर्स संखलेचा ब्रदर्स, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का मालिक) 2. संदीप मुथा पुत्र महेन्द्र कुमार मुथा प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स लखीचन्द महेन्द्र कुमार एण्ड क0, जे / 2 / 3, मण्डोर मण्डी, जोधपुर 3. आशीष प्रसाद अग्रवाल पुत्र दयानन्द नोमिनी परसन ऑफ M/S VIJAY SOLVEX LIMITED, BHAGAWATI SADAN, SWAMI DAYANAND MARG, ALWAR

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं एवं अप्रार्थी सं 3 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स संखलेचा ब्रदर्स, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक 03.06.2021 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **ब्लेण्डेड वेजिटेबल ऑयल ब्राण्ड नीरज (500 एमएल)**, जो कि कार्टून में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल **ब्लेण्डेड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:56:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

वेजिटेबल ऑयल ब्राण्ड नीरज (500 एमएल) की कुल 4 बोतलें वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1364** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **ब्लेण्डेड वेजिटेबल ऑयल ब्राण्ड नीरज (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **ब्लेण्डेड वेजिटेबल ऑयल ब्राण्ड नीरज (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह जिस अवस्था में माल खरीदता है उसी अवस्था में अपने गोदाम में रखकर बेचान का कार्य करता है। उक्त माल में उसने न तो किसी प्रकार की मिलावट की है और न ही सील तोडी है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने लिखित जवाब में प्रकट किया कि उक्त माल के सैम्पल लिए जाने की जानकारी उसे नहीं थी। साथ ही यह भी प्रकट किया कि निर्माता कम्पनी उक्त खाद्य पदार्थ अपनी प्रयोगशाला में जांच करने के बाद ही खाद्य पदार्थ को पैक कर विक्रय हेतु मार्केट में भेजती है। उक्त खाद्य पदार्थ की जांच में दृष्टिय त्रुटि के कारण नगण्य अन्तर आया है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुए आवेदन का निस्तारण फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **10.06.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से [illegible] अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ उनके द्वारा [illegible] अन्य विक्रेता से क्रय किया जाकर जैसा खरीदा था वैसा ही बे[illegible] 3 के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने लिखित जवाब में उक्त माल के सैम्पल [illegible] जाने की जानकारी नहीं होना प्रकट किया है। साथ ही यह भी प्रकट किया कि निर्माता कम्पनी उक्त खाद्य पदार्थ अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:56:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रयोगशाला में जांच करने के बाद ही खाद्य पदार्थ को पैक कर विक्रय हेतु मार्केट में भेजती है। उक्त खाद्य पदार्थ की जांच में दृष्टिय त्रुटि के कारण नगण्य अन्तर आया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तर्कों द्वारा उनकी ओर से अपने व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,50,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:56:01 IST
Reason: SelfAttested